IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

छत्तीसगढ़ राज्य की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का अध्ययन

लेखक:- सोनी कुमुदनी राजपूत[1] डॉ प्रज्ञा यादव[2]

शोधार्थी[1] सहा. प्राध्यपक (वाणिज्य)[2]

पंडित एस. एन. शुक्ला विश्विद्यालय शहडोल (म.प्र.)

सारांश

छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में महिलाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो आर्थिक वृद्धि और सामाजिक सशक्तिकरण दोनों में योगदान देती हैं। उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करके और उन्हें समान अवसर प्रदान करके, भारत उनकी पूरी क्षमता का दोहन कर सकता है और समावेशी और सतत विकास हासिल कर सकता है। प्राचीन काल में भारतीय समाज में महिलाओं के लिए सतीप्रथा, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, महिलाओं की हत्या, पर्दा प्रथा, पत्नी को जलाना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बाल विवाह, बाल श्रम, देवदासी प्रथा आदि कुप्रथाएं प्रचलित थीं, क्योंकि पुरुष प्रधान व्यवस्था और समुदाय में पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत में, इन बुराइयों को मिटाने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता थी।यह शोधपत्र छत्तीसगढ़ के संदर्भ में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण अध्ययन से संबंधित है। इसलिए महिलाओं की उन्नति के लिए सरकार द्वारा कई कार्यक्रम स्थापित किए गए हैं। इस शोधपत्र का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों और उनके लिए उपयोगी विचारों को स्पष्ट करना है।

मुख्य बिंदु:- महिला सशक्तिकरण, आर्थिक विकास, लिंग और विकास, सामाजिक-आर्थिक विकास, महिलाओं की भूमिका, महिलाओं का रोजगार

परिचय

भारत के आर्थिक विकास में महिलाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, आर्थिक वृद्धि और समावेशी विकास दोनों में योगदान देती हैं। वे कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, विभिन्न उद्योगों में नवाचार और विकास में योगदान देती हैं, और उनकी भागीदारी भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, महिलाएँ भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 18% का योगदान देती हैं, लेकिन उनका संभावित योगदान काफी अधिक है। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने से भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 27% की वृद्धि हुई है।महिला सशक्तिकरण आज के युग में विकास और अर्थशास्त्र में चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है। क्योंकि प्राचीनकाल से यह देखा जा रहा है, की समाज में महिलाओं को पुरुषों के समक्ष तुच्छ समझा जाता था, तथा सती प्रथा, दहेज़ हत्या जैसी बहुत सी कुरीतियाँ समाज में फैली हुई थी। और महिला सशक्तिकरण किसी विशेष राजनीतिक या सामाजिक संदर्भ में अन्य

मुद्दों से संबंधित दृष्टिकोणों को भी इंगित कर सकता है।महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण से तात्पर्य महिलाओं को संसाधनों, परिसंपत्तियों, आय और अपने स्वयं के समय के साथ - साथ जोखिम या कठिनाइयों को नियंत्रित करने और उनके प्रबंधन और जोखिम को प्रबंधित करने के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने की क्षमता से लाभ उठाने का अधिकार है।

महिला सशक्तिकरण के प्रकार

समाज के समग्र विकास के लिए महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। यहाँ सशक्तिकरण के प्रकार दिए गए हैं जो महिलाओं के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

1. सामाजिक सशक्तिकरण

   इस प्रकार का सशक्तिकरण महिलाओं द्वारा झेले गए सामाजिक अंतरों के बारे में बात करता है। भारत ने अपनी स्वतंत्रता के बाद बहुत प्रगति की है। फिर भी, कुछ स्थानों पर महिलाओं को स्वास्थ्य, पारिवारिक निर्णय, विवाह निर्णय, प्रसव आदि के संबंध में अन्याय का सामना करना पड़ता है। इन सभी मामलों में समान अधिकार होना महिलाओं को सामाजिक सशक्तिकरण देने का एक तरीका हो सकता है और उन्हें एक निश्चित स्थान तक सीमित नहीं रखना चाहिए।

2. शैक्षिक सशक्तिकरण

   ऐतिहासिक काल से ही, महिलाओं के लिए समान सामाजिक-आर्थिक स्थिति प्राप्त करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक रही है। पहले के समय में महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता था। आज भी, भारत भर में महिला साक्षरता दर अन्य देशों की तुलना में कम है। नतीजतन, महिलाओं को शिक्षा तक पहुँच प्रदान करना समय की माँग है ताकि वे पढ़ सकें और परिवार की रोज़ी-रोटी चला सकें। महिलाओं को समाज में अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझने के लिए मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। जिन लड़कियों को स्कूल जाने और सीखने की अनुमति दी जाती है, वे बड़ी होकर भारत की अच्छी नागरिक बन सकती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत इस विचार के साथ की गई थी कि महिलाओं को तभी बचाया जा सकता है जब वे शिक्षित होंगी।

3. आर्थिक सशक्तिकरण

   आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं को शक्तिशाली लोगों के रूप में देखा जाता है। काम के अवसरों तक समान पहुँच और सभी प्रकार के बाज़ारों में भागीदारी महिलाओं को असमानता की बाधाओं को तोड़ने और पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देने में मदद कर सकती है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक और महत्वपूर्ण तरीका उन्हें अपने घर चलाने के तरीके में अपने निर्णय लेने में सक्षम बनाना है।

4. राजनीतिक सशक्तिकरण

   राजनीति समाज में बदलाव लाने के सबसे मजबूत और सबसे सम्मोहक तरीकों में से एक है। यह महिलाओं को समाज में पुरुषों के बराबर होने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास और कौशल प्रदान करती है। इसके अलावा, राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी एक स्थायी सरकारी निकाय बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

उद्देश्य•

1. छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी कार्यक्रमों का अध्ययन करना।
2. छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक विकास के लिए कार्यबल में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन करना।
3. महिला सशक्तिकरण के लिए उचित सिफारिशें प्रदान करना।

शोध प्राविधि

यह शोध पत्र वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक है। इस शोध पत्र में भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। इसमें उपयोग किए गए डेटा इस अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार विशुद्ध रूप से द्वितीयक स्रोत हैं, उदाहरण के लिए किताबें, पत्रिकाएँ, पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, वेबसाइट आदि।

साहित्य की समीक्षा

यहां शोध समस्या से सम्बन्धित विभिन्न समाजशास्त्री- शिक्षाविदों के साहित्य का अवलोकन किया गया है। जिसमें उनके अध्ययन के निष्कर्ष का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

- अंगला ईश्वरी सौराष्ट्र कॉलेज 2019 विकासशील देशों में महिलाओं को सशक्त बनाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भले ही महिलाएँ किसी भी समाज का अभिन्न अंग हैं, फिर भी आर्थिक गतिविधियों में उनके सक्रिय योगदान के माध्यम से निर्णय लेने में उनकी भागीदारी उथली है। महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास आपस में जुड़े हुए हैं, जहाँ एक ओर, अकेले विकास महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को सशक्त बनाने से विकास को लाभ मिल सकता है। यह पत्र विभिन्न राज्यों में देश के आर्थिक विकास के लिए कार्यबल में महिलाओं की भूमिका का पता लगाता है। अगस्त 2019 शांलैक्स इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स 7(4):41-45
- मैत्रेयी दत्ता पल्लबी बोरा 2024 आर्थिक विकास और लैंगिक समानता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं; घरेलू और वैश्विक स्तर पर महिला उद्यमियों के सामने आने वाली बाधाओं को कम करने से राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।(एश्वरी, 2019)[4] उद्यमिता अब एक लिंग तक सीमित नहीं है; आर्थिक दबावों ने महिलाओं को यह पहचानने के लिए प्रेरित किया है कि उनके परिवार का अस्तित्व और उनकी अपनी क्षमता पुरुषों के साथ मिलकर काम करने पर निर्भर करती है (मार्लो, 2002) [7]। आर्थिक विकास और लैंगिक समानता आपस में जुड़े हुए हैं; घरेलू और वैश्विक स्तर पर महिला उद्यमियों के सामने आने वाली बाधाओं को कम करने से राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। (एश्वरी, 2019)[4]उद्यमिता अब एक लिंग तक सीमित नहीं है; आर्थिक दबावों ने महिलाओं को यह पहचानने के लिए प्रेरित किया है कि उनके परिवार का अस्तित्व और उनकी अपनी क्षमता पुरुषों के साथ मिलकर काम करने पर निर्भर करती है
- दीपिका फौगू फौगू 2024 लैंगिक समानता सामाजिक प्रगति की आधारशिला के रूप में खड़ी है, जो 2030 के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के सार में जटिल रूप से बुनी गई है। फिर भी, लैंगिक नेतृत्व अंतर वैश्विक समानता में बाधा डालने वाली एक विकट बाधा बनी हुई है। महिलाओं की शैक्षिक प्रगति के बावजूद, वरिष्ठ भूमिकाओं में उनका कम प्रतिनिधित्व एक चौंकाने वाली विसंगति के रूप में बना हुआ है। समसामयिक अनुसंधान, अनुभवजन्य साक्ष्य और द्वितीयक डेटा से प्रेरणा

लेते हुए, यह पेपर 2030 तक सशक्तिकरण और लैंगिक समानता से संबंधित एसडीजी को आगे बढ़ाने के लिए नेतृत्व में महिलाओं को आगे बढ़ाने की अनिवार्यता को रेखांकित करता है।

- बिप्लब औद्य्या2021भारत में महिलाएँ विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में शामिल हैं। भारतीय राज्यों में, केरल में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक (92.1%) है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में 48.47% महिला जनसंख्या है। महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर के आधार पर भारत 131 देशों में 120वें स्थान पर है। 8 मार्च को हर साल 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (IWD)' के रूप में मनाया जाता है। भारत की जीडीपी में 17% आर्थिक योगदान भारतीय महिलाओं का है। कोटक वेल्थ हुरुन-लीडिंग वेल्थी
- वुमेन 2020 सूची के अनुसार रोशनी नादर मल्होत्रा एचसीएल कंपनी की चेयरपर्सन हैं, वह भारत की सबसे अमीर बिजनेसवुमेन हैं। 2020 में भारत में महिला जनसंख्या 662903000 है और वृद्धि दर 1.01% है। मैक किन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, 2015 के अनुसार, 2025 तक महिला कार्य भागीदारी में 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होगी। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को उनकी शिक्षा, जागरूकता और साक्षरता की स्थिति में सुधार करने में मदद करता है। भारत में कई महिलाएं अपने काम से लोकप्रिय हैं। भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए और कई कार्यक्रम शुरू किए।
- Angala Eswari August 2019 विकासशील देशों में महिलाओं को सशक्त बनाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालाँकि महिलाएँ किसी भी समाज का अभिन्न अंग हैं, फिर भी आर्थिक गतिविधियों में उनके सक्रिय योगदान के माध्यम से निर्णय लेने में उनकी भागीदारी उथली है। महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जहां एक ओर अकेले विकास महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है वहीं दूसरी ओर महिलाओं को सशक्त बनाने से विकास को लाभ मिल सकता है।

छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं

1. महतारी वंदन योजना
   महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार लाने, आर्थिक स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना मार्च 2024 से लागू की गई है|
2. नवाबिहान योजना
   घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा नवाबिहान योजना संचालित है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक जिले में महिला संरक्षण अधिकारी की पदस्थापना की गई है।
3. सुविधा व सहायताः-योजना के अंतर्गत पीड़ित महिला को आवश्यकतानुसार विधिक सलाह, परामर्श, चिकित्सा, सुविधा, परिवहन तथा आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान रखा गया है।

4. स्वावलंबन योजना

योजना का आरंभ वर्ष 2009 से किया गया है। इस योजना में सक्षम योजना के इच्छुक एवं पात्र हितग्राही को प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान यह प्रशिक्षण मुख्यमंत्री कौशल विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। छ.ग.महिला कोष से कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

5. सक्षम योजना

इस योजनांतर्गत महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से ऋण प्रदाय करने बाबत वर्ष 2009-10 से प्रारंभ की गई है।

उद्देश्यः-ऐसी महिलायें जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है एवं वे जीविकापार्जन में कठिनाई अनुभव कर रही है एवं 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं तथा कानूनीतौर पर तलाकशुदा महिलाओं को सुलभ ऋण उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाना एवं उनमें व्यावसायिक क्षमता विकसित करते हुए सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर, सम्मानजनक, स्वावलंबी व समृद्ध जीवन उपलब्ध कराना ।

6. ऋण योजना

छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को समाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त किये जाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना। पात्रता एवं ऋणः- योजना अंतर्गत 3 प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्रथम बार में 1.00 लाख से 2.00 लाख रूपये तक (वसूली 24 किस्तों में) तथा द्वितीय बार में 2.00 लाख से 4.00 लाख रूपये तक का ऋण(वसूली 36 किस्तों में) प्रदाय किया जाता है। यह संशोधन आदेश दिनांक 28.09.2021 से लागू है।यौन उत्पीड़न एवं एच.आई.व्ही. पीड़ित महिलाओं को शासकीय चिकित्सक द्वारा प्रदाय चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आर्थिक गतिविधियों से जोड़े जाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर पात्रता की अन्य शर्ते पूर्ण करने पर ऋण प्रदान किया जा सकेगा । इन महिलाओं को जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तावों पर जिला कलेक्टर स्वीकृति उपरांत 10000/-रूपये (शब्दों में रूपये दस हजार मात्र) का व्यक्तिगत ऋण 3 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे। इन महिलाओं द्वारा स्व-सहायता समूह का गठन किये जाने पर समूह को 1.00 लाख (शब्दों में रूपये एक लाख मात्र) की ऋण राशि 3 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर स्वीकृत की जावेगी। यह ऋण जिला कलेक्टर के अनुमोदन से संबंधित जिला प्रबंधक प्रदान करेंगे। योजना के तहत अन्य शर्ते यथावत रहेंगी। तृतीय लिंग (Trans Gender) हितग्राही भी इन योजना का लाभ लेने की पात्रता रखेगी।

7. पोषण अभियान

भारत सरकार द्वारा कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए एक वृहत अभियान के रूप में पोषण अभियान का शुभारंभ किया गया है।यह शुभारंभ 08 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा झुंझूनू , राजस्थान में किया गया है।पोषण अभियान देश के सभी राज्यों में वित्तीय वर्ष 2017-18 से आगामी तीन वर्षों में चरण बद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।प्रथम चरण में राज्य के 12 जिलों को लिया गया था तथा द्वितीय चरण वर्ष 2018-19 से शेष 15 जिलों को लिया गया है।इस प्रकार राज्य के सभी 27 जिलों में पोषण अभियान क्रियान्वित है।पोषण अभियान के लक्ष्य एवं घटकांे का विवरण निम्नानुसार है:-

8. महिला जागृति शिविर

   महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, प्रावधानों के प्रति जागृत करना, विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरूद्ध महिलाओं को जागृत व संगठित करना तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना विभाग द्वारा इस हेतु प्रदेश के ग्राम पंचायतों, जनपद एवं जिला स्तरों पर समय-समय पर महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया जाता है।

9. स्व-सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण

   उद्देश्य:- प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण हेतु स्वसहायता समूह के रूप में महिलाओं को संगठित कर समूह को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये छत्तीसगढ़ महिला कोष की ओर से स्व सहायता समूह के लिये ऋण योजना दिनांक 15.8.03 से प्रारंभ की गयी है।

10. प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना उद्देश्य:- गर्भवती एवं धात्री माताओं के पोषण स्तर में सुधार एवं उनकी मजदूरी की पूरक प्रतिपूर्ति हेतु योजना संचालित है।

11. शक्ति सदन

    संकटग्रस्त महिलाओं विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत एवं परित्यक्ता को आश्रय व सहारा प्रदान करने तथा निःशुल्क परिपालन व पुर्नवास करना एवं बच्चों तथा महिलाओं की मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनः जोड़ने के लिए पूर्व में संचालित स्वाधार गृह एवं उज्जवला गृह को समाहित करते हुए भारत शासन की अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति के अंतर्गत शक्ति सदन योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में वर्तमान में 03 शक्ति सदन का संचालन कोरबा, कोरिया एवं सरगुजा जिले में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना में केन्द्र एवं राज्य का अंशदान 60:40 का है।

छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक विकास के लिए कार्यबल में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन।

राज्य कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिसमें कुल जनसँख्या की 51 प्रतिशत महिलाएँ हैं, जो कुल कामकाजी आयु की आबादी का 45% प्रतिनिधित्व करती हैं।

जबकि पुरे भारत में जीडीपी में उनका वर्तमान योगदान लगभग 18% है, निचे तालिका में विभिन्न क्षेत्र में कामकाजी महिलओं का रोजगार प्रतिशत को दर्शाया गया है

क्र	कार्य विवरण	कुल महिला रोजगार	
	पशुपालन	3200	27.9
1	कृषि	256900	30.25
2	मछलीपालन	2900	12.68
3	कुल कृषिगत	263000	26.41
4	माइनिंग	304	5.43
5	उधोग में कार्यरत	15400	18.65
6	इलेक्ट्रोनिक	1926	3.33
7	भवन निर्माण	2100	1.8

8	मार्केटिंग	6700	1.12
9	थोकव्यापर	2300	2.92
10	फुटकर व्यापार	1125	8.67
11	रेस्टोरेंट	6000	16.88
12	बस एवं कोरियर	156	0.9
13	वित्तीय	1300	5.13
14	रियल इस्टेट	23670	15.53
15	रक्षा के क्षेत्र	1670	3.3
16	शिक्षा	13600	6.36
17	संचार	900	8.12
18	अन्य	15690	11.13
19	अक्रषिगत	223184	9.96
20	कुल कृषिगत	263000	22.23

स्रोत: आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2025

महिला सशक्तिकरण की दिशा में सुझाव

भारतीय समाज में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता था, लेकिन आज भी उन्हें शर्मसार किया जाता है। इसलिए समाज में महिलाओं को ईमानदारी से सशक्त बनाने के लिए हमें पुरुषों द्वारा की जाने वाली कुरीतियों को खत्म करना होगा। यहां कुछ राय दी गई हैं जो समुदाय में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दिशा प्रदान करती हैं।

"जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का कल्याण संभव नहीं है। जैसे एक पंख पर उड़ते हुए पक्षी की कोई व्यवहार्यता नहीं है।"-स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित।

1. नागरिक संचार की व्यवस्था में बदलाव करें

   इस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह साथी हैं। अपनी मर्जी से वे जहां चाहें वहां जा सकती हैं। सार्वजनिक संचार की व्यवस्था में महिलाओं को समान स्थान दिया जाना चाहिए। इस व्यवस्था से पुरुषों और महिलाओं की धारणा में बदलाव आएगा, जिससे महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा साफ हो सकेगी।

2. संपत्ति पर पहुंच और नियंत्रण।

   अब महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान दिया गया है। इसलिए महिलाओं को भी परिवार की संपत्ति में बराबर की भागीदार होना चाहिए। वर्तमान में कानून के अनुसार महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए संपत्ति से जोड़ा गया है।

3. निर्णय लेने का अधिकार।

   अभी भी महिलाओं को अपने परिवार के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति नहीं है। निर्णय लेने की क्षमता की कमी के कारण महिलाएं खुद को समाज में अनुयायी मानती हैं। महिलाओं को समाज और परिवार के लिए निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। यह भी महिलाओं को सशक्त बनाने का एक तरीका है। पुरुषों की तरह वे भी निर्णय लेने में शामिल हो सकती हैं।

4. शिक्षा और सेवाएँ प्रदान करना।
   महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साक्षरता गरीबी को दूर करती है और निरक्षरता गरीबी लाती है, इसलिए महिलाओं को सेवाएँ प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इस स्थिति को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलाएँ घरेलू कामों में शामिल होती हैं, और शहरी क्षेत्रों में बहुत कम प्रतिशत महिलाएँ सेवा में शामिल होती हैं। इसलिए उन्हें कौशल बढ़ाने और व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे सेवा के लिए दूसरे देश के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।
5. स्वास्थ्य सेवा सुविधा प्रदान करना।
6. महिलाओं के सशक्तिकरण की स्थिति में यह हमारे देश की बुनियादी ज़रूरत है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाएँ विभिन्न विनाशकारी महामारियों से दूर रहती हैं। समाज में महिलाएँ किसी भी तरह से पुरुषों की अनुयायी नहीं होती हैं और पुरुषों के बीच यह सकारात्मक रुख हमारे देश में महिलाओं को सशक्त बनाएगा। भारत में महिलाओं के बीच लोगों की सोच को बदलने की ज़रूरत है।

निष्कर्ष

महिला सशक्तिकरण महिलाओं को अपने जीवन पर नियंत्रण रखने, लक्ष्य निर्धारित करने और अपने सपनों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने की प्रक्रिया है। इसमें समाज के सभी पहलुओं में महिलाओं के लिए समान अधिकार, अवसर और संसाधनों तक पहुँच को बढ़ावा देना शामिल है।महिला सशक्तिकरण पर किसी परियोजना या शोध का निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुख्य बिंदुओं को शामिल करता है और केंद्रीय तर्क को पुष्ट करता है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने के महत्व पर प्रकाश डालता है।

संदर्भ सूचि

- महिला एवं बाल विकास विभाग की मासिक पत्रिका 2010. p-233- 234
- प्रशासकीय प्रतिवेदन महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन 2014-15. P-51
- सुपोषण नीति- महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन 2001
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण संदर्भिका, क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग बिलासपुर 2006